सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त का कार्यालय

टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - ४३१०२९

OFFICE OF THE ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Town Centre, CIDCO, Aurangabad - 431029
सं. यहा./भ.नि./प्रयोज्यता
No. MH / AB / 8442 | 194 / Comptravia | Appl/2012 | 903 | Dated | 21-11-2012 |
सेवा मे.

The Proprietor,
Ms Excellent Enviro,
N-7, G-1/108, Triveni Nagar,
eldco, Alwangaland - 431001

विषय : कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजनार्डसकी प्रयोज्यता संकेत संख्या का आबंदन ।

Sub Employees' Provident Funds and Miscelleneous Provisions Act. 1952 and the scheme frame there under applicability thereof-Allotment of code number.

महोदय.

अपकी फॅक्ट्री / स्थापना उसकी सभी शाखाएं और विभागों के साथ दि......से कर्मचारी भविष्य विभाग के अनुसार विनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है । उपलब्धं सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है किः

1. Your factory / establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 and the scheme, framed there under with effect from 01.01.2012 (22 persons)

(१) आपकी फॅक्ट्री / अनुसूची १ में उल्लिखित उद्योग का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा १(३) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू होता है ।

(iii) Yours is an establishment classified as Sopent. Service, to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1(3) (b) of the Act.

3. आपकी फॅक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची १ में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा १ (४) (४) के अनुसार भारत सरकार त्यारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भुत नहीं है । अतः आपकी स्थापना को अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भुत नहीं है । अतः आपकी स्थापना को अनुसूचित स्थापनाओं है

१-क) जांच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधारपर व्याप्ति तत्कालिक स्वरुप की है, लेकीन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए ।

(1-A) The Coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification on your records for prior periods.

- १३. यह सुनिश्र्वित किया जाए कि निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है । विलंबित अवायमी सर्वातारी अक्रिय निध अधिनियम की धारा १४-बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।
- 13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed limit. Delays yments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14 E or the Employees Lovident Fund and Miscellaneous Provisions Act. 1952.
- १४. इसके अतिक्ति देयता की अदायगी तथा विवर्णियों की अ-प्रस्तुति के लिए अभियोग भी लगाया जाएक है
- 14. Besides, Prosecution could also lie from non-payment of dues and for non-submission of returns
- १५. इस कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे । इसलिए आपसे निवेदन है की उन्हें आवश्यक सहयोग है । तथापि कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते है तो इस कार्यालय को या निम्मलिखित प्रते पर १ 📉 निधि मिहीक्षक
- 15. An inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him increasing cooperation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you my please write to the office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.
- 16. Previous Provident Fund accumulations. If any should be transferred in the form of cash within 10 d. of securities within 30 days.

। श्रीमती	भविष्य निधि निडीक्षक
)	
	सहा. शरीष्य निर्मा
	महाराष्ट्र, अभ्रोत्रीय कार्यालय ।
	Provident Fund Inspector

Please acknowledge receipt of this communication



Maharashtra S.R.O.A.